मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम
"पुस्तक भवन"
अरेरा हिल्स, भोपाल–462011
दूरभाष – 0755–2550727, 2551294, 2551565, फैक्स–2551145, ई–मेल –tbcho@yahoo.com, बेबसाईट –mptbc.nic.in

क्रमांक / 246 / पा.पु.नि. / स्थापना / 2018 भोपाल, दिनांक 19/09/18

–:: आदेश ::–

शासक मण्डल की बैठक क्रमांक–246 दिनांक 14.09.2018 में लिये गये निर्णयानुसार निगम के विभिन्न डिपो में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति सहित) को वर्ष 2017–18 में "पीक–सीजन" की अवधि में कार्यालयीन समय के अतिरिक्त तथा सार्वजनिक अवकाशों में भी निगम कार्य करने के परिपेक्ष्य में पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन की 50% प्रतिशत राशि मानदेय के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है :–

अ. पीक सीजन (वितरण डिपो के लिये 15 अप्रैल से 31 अगस्त एवं केन्द्रीय कागज डिपो के लिये 15 नवम्बर से 30 अप्रैल) की अवधि में डिपो में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश को छोड़कर 04 दिवस या उससे अधिक अवधि का अवकाश लिया हो, तो उसे मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

ब. बिना सक्षम अनुमति के डिपो मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों को मानदेय राशि की पात्रता नहीं होगी।

स. पीक–सीजन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अन्य किसी भी कारणों से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होने की स्थिति में मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

द. पीक–सीजन के दौरान निलंबन होने पर भी मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

इ. पीक–सीजन के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्य, व्यवहार, आचरण, अच्छा रहा हो तथा डिपो के हित एवं सुविधा हेतु कार्य किया गया हो तब ही मानदेय की पात्रता होगी।

19/9/18
मुख्य महाप्रबंधक
म0प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम
भोपाल

ओऽम्प्रति

—2

Scanned by CamScanner

पृष्ठा.क्रमांक / 7580 / पा.पु.नि. / स्थापना / 2018 भोपाल, दिनांक 19.9.18

प्रतिलिपि :—

01 उप महाप्रबंधक, वित्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

02 समस्त डिपो प्रबंधकों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया परीक्षण कर वर्ष 2017—18 में अपने डिपो में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रस्ताव दें।

03 आर.ए.डी. / वित्त / वितरण / मुद्रण, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम की ओर सूचनार्थ।

19/9/18

मुख्य महाप्रबंधक

म0प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम

भोपाल

Scanned by CamScanner